



संख्या-11/2018/1171/77-3-2018-06बजट/16

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी / लखनऊ / गाजीपुर / सुल्तानपुर / आजमगढ़ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 1000.00 करोड़ में से रु० 450.00 करोड़ भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-134/यूपीडा/17/599-2, दिनांक 10.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु० 1000.00 करोड़ में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना से आच्छादित जनपदों को उनकी मांग के अनुसार भूमि क्रय मद में क्रमशः जिलाधिकारी, बाराबंकी को रु० 25.00 करोड़, जिलाधिकारी, लखनऊ को रु० 25.00 करोड़, जिलाधिकारी, गाजीपुर को रु० 200.00 करोड़, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को रु० 100.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को रु० 100.00 करोड़ अर्थात् कुल रु० 450.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपॉजिट खाते में जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपॉजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹0 450.00 करोड़ (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव

संख्या-11/2018/1171(1)/77-3-2018, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर एवं आजमगढ़।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।